

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION
COMPLEX, MUNI MAYA RAM MARG,
PITAMPURA, DELHI-110034
E-mail: dtehedu@gmail.com

F.DHE.5(139)/V.S./2025/ 4489-90

Dated: 21/03/2025

To

The Deputy Secretary (Question Branch)
Delhi Legislative Assembly
Old Secretariat, Delhi - 54.

Sub: Forwarding of Vidhan Sabha Unstarred Question No. 55 raised by Hon'ble MLA Sh. Kuldeep Kumar listed on 24.03.2025.

Sir,

Please find enclosed herewith the 100 Copies of the reply of Vidhan Sabha Unstarred Question No. 55 raised by Hon'ble MLA Sh. Kuldeep Kumar listed on 24.03.2025. The soft copy of the Department's reply is also enclosed. Kindly acknowledge the receipt.

This issue with the prior approval of the Hon'ble Minister (H.E.) GNCTD.


Dy. Director (HE)

F.DHE.5(139)/V.S./2025/ 4489-90

Dated: 21/03/2025

Copy to:

1. Director, Directorate of Information & Publicity, GNCTD, Old Secretariat, Delhi- 110054 with 150 Copies of the reply of Vidhan Sabha Unstarred Question No. 55 raised by Hon'ble MLA Sh. Kuldeep Kumar listed on 24.03.2025.


Dy. Director (HE)

उच्च शिक्षा निदेशालय
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र
बीटीई ब्लॉक, मुनि माया राम मार्ग, पीतम पुरा, दिल्ली-110034
(प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय कैम्पस)

विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 55

दिनांक : 24.03. 2025

प्रश्नकर्ता का नाम :श्री कुलदीप कुमार

उच्च शिक्षा

क्या माननीय उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
क	क्या दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में गवर्निंग बॉडी का गठन हुआ है;	वर्तमान में दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में गवर्निंग बॉडी का पूर्णरूप से गठन नहीं हुआ है ।
ख	यदि हाँ, तो कितने कॉलेज में गवर्निंग बॉडी का गठन हुआ है, सूची प्रदान करें;	उपरोक्तानुसार ।
ग	यदि नहीं, तो इसके गठन न होने के कारण हैं;	मई 2023 से सरकार द्वारा विचाराधीन होने के कारण कॉलेजों में गवर्निंग बॉडी का पूर्णरूप से गठन नहीं हो पाया ।
घ	क्या प्रिंसिपल की नियुक्ति बिना स्थाई गवर्निंग बॉडी के हो सकती है; और	दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमानुसार कॉलेजों में प्रिंसिपल की नियुक्ति दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा जारी अध्यादेश - XVIII में वर्णित नियमों के अनुसार कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी द्वारा चयन समीति की सिफारिश पर की जाती है ।
ड.	यदि हाँ, तो ऐसे कितने कॉलेज हैं जहां पर प्रिंसिपल की नियुक्ति हो चुकी है ?	दो कॉलेजों में नियुक्ति हो चुकी है ।



निदेशक

उच्च शिक्षा निदेशालय